ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के द्रष्टिगत ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खंड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग के द्वारा निष्पादित किया गया है।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत रिंडा में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री कमल कान्त	01-04-2021 से 31-03-2023

ग्राम रोजगार सेवक

क्रम संख्या	ग्राम रोजगार सेवक का नाम	अवधि
1.	श्री सोहन कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

तकनीकी सहायक

क्रम संख्या	तकनीकी सहायक का नाम	अवधि
1.	श्री इन्दर जीत	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	7.1 - 7.2	पंचायत राजस्व गृहकर एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	0.42
02.	8.2	बिना M फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय की हानि बारे।	0.75
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.53
04.	8.4	टी.डी.एस. की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की हानि।	0.12
05.	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	1.88
06.	9.3	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे।	1.31

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-01-2024 से 20-01-2024 तक ग्राम पंचायत रिंडा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	02/2022	07/2021
2.	2022-2023	10/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/19 दिनांक 20-01-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत रिंडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (क) स्व:-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत रिंडा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:-

1. स्व:-स्रोत (SDP, 3RD/5TH State FC/MMGPY)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	616587	1095752	1712339	212836	1499503
2022-23	1499503	2112170	3611673	1677544	1934129

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	**1283939**	**7501254**	**8785193**	**5853265.5**	**2931927.5**
2022-23	**2931927.5**	**6016050**	**8947977.5**	**7206008.5**	**1741969**

नोट: उपरोक्त स्वः-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे SDP, MMGPY एवं 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.2 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्वः-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) = ₹1934129 + ₹1741969 = ₹3676098

(ख) ग्राम पचांयत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	50100312829212	HDFC CHAMBA	**1097720**
2.	14वां वित्तायोग	17910118634	HPSCB Chamba	**0**
3.	SBM	7893000100039604	PNB Sultanpur	**0**
4.	IAY	17910115062	HPSCB Chamba	**400**
5.	AAY/RAY	17910115064	HPSCB Chamba	**15363**
6.	MPLAD	19610101513	HPSCB Obri	**991**
7.	PMAGY	19610102149	HPSCB Obri	**266595**
8.	VKVNY	19610101512	HPSCB Obri	**4671**
9.	MMAGY	78930000100012227	PNB Sultanpur	**11813**
10.	Relief	19610101514	HPSCB Obri	**11249**
11.	SF /5th State/ General	17910107034	HPSCB Chamba	**2121887**
			Cash in hand	**878**
			TOTAL	**₹3531567**

अन्तर (क-ख) ₹3676098 - ₹3531567 = ₹144531

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.45 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत रिंडा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत

में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹144531/- का अन्तर बैंकपास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-17 दिनांक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.2 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के **<u>नियम 11</u>** के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत में उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधि (स्वः-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनांक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹17.42 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिंनाक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1741969 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना

पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-17 दिनांक 19-01-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रिंडा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनांक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.36 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत रिंडा के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्नलिखित ₹35525/-की राशि वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
1.	2021-22	37150	443	40	17720	54870	4425	50445
2.	2022-23	50445	454	40	18160	68605	33080	35525

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18 दिनांक 20-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिंनाक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिंनाक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹6125/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	सामान्य दर	राशि	दर/BPL	राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
2021-22	18	12@200 3 Late fee @200	(2400+600) 3000	6@25 Late fee1 @25	**(150+25) 175**	**3175**
2022-23	13	10@200 Late fee 4@200	(2000+800) 2800	3@25 3 late fee@25	**(75+75) 150**	**2950**
					कुल योग	**₹ 6125**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-18 दिनांक 20-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में ज़मा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत रिंडा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनाक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹0.75 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनाक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार

पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹75313/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनांक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना का भुगतान भी करना होगा।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/11 दिनांक 18-01-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती समबन्धित संविदाकरों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनिमितिता को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.53 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रिंडा के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1115222/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि उक्त फर्मे रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है। लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है

एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹53106/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गंभीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिंनाक 18-01-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामाग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवशयकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.12 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के **'प्राप्ति शीर्ष'** में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा दंडात्मक व्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत रिंडा के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणनुसार राशि ₹619382/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹12388/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

क्रम/ अनुदान	वाउचर / वर्ष	सामाग्री	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशि (₹)	TDS @ 2%
1.MMGDY	16/ 24-09-22	JCB Work	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	49619	992
2.5th FC	17 & 18/ 24-09-22	JCB Work	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	99238	1985
3.5th FC	21 & 22/ 18-10-22	JCB Work	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	99238	1985
4.5th FC	37 & 38/ 21-12-22	JCB Work	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	99238	1985
5.5th FC	58-63/ 25-02-23	JCB Work	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	272049	5441
			कुल योग	**₹619382**	**₹12388**

इस अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16 दिंनाक 18-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती समबन्धित संविदाकरों से करने एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में नियमित तौर पर कटौती की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.88 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत रिंडा द्वारा राशि ₹188242/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गंभीर अनियमितिता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 18-01-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितिता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹3.04 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत रिंडा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5"**) राशि ₹304830/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-15 दिनांक 18-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के सयुंक हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेंगे। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को

न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹1.31 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत रिंडा के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणनुसार कुल राशि ₹131400/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. सतकर्ता एवं निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।
2. बिना पे-आर्डर एवं संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करने बारे।
3. मस्ट्रोलमें दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिती को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
4. मस्ट्रोल में अन्य विवरण जैसे :- प्रस्ताव संख्या, कार्य का नाम , कार्य का शुरू एवं समाप्त होने की दिंनाक , इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया गया।

क्र०स०/ अनुदान	**निर्माण कार्य**	**मस्ट्रोल संख्या**	**वाउचर/ दिनांक**	**राशि**
1.PMGAY	कार्य : पक्का पाथ लोअर धवेड से GPS धवेड़	11760	13/ 21-12-2021	65400
2.PMGAY	कार्य : पक्का पाथ लोअर धवेड से GPS धवेड़	11764	24/ 11-02-2022	66000
		कुल योग		**₹131400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 18-01-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य

में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 क्रय पत्थरों की मात्रा मानक इकाई क्यूबिक मीटर में न दर्शा कर कुल संख्या में दर्शाने बारे।

ग्राम पंचायत रिंडा के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पत्थरों के क्रय किये गए बिलों में मात्रा पंचायती राज द्वारा निर्धारित मानक इकाई क्यूबिक मीटर में न होकर संख्या में दर्शाई गई है जोकि पत्थरों की मात्रा को दर्शाने वाला अधिकृत/उचित मानक प्रतीत नहीं होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-15 दिनांक 18-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव एवं तकनीकी सहायक द्वारा सूचित किया कि, 150 पत्थर में एक क्यूबिक मीटर बनते हैं एवं भविष्य में पत्थरों को क्यूबिक मीटर में ही क्रय किया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि ₹732 का अधिक/अनुचित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत रिंडा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अंतर्गत सिविल सप्लाई से सीमेंट खरीद पर प्राप्त बिलों के एवज में निम्नविवरणानुसार राशि ₹732 का अधिक भुगतान किया गया।

1.Sr.no/ Grant	2.Vr.No/date	3.Actual paid as Performa bill	4.As per bill payment	5.Excess paid (3-4)
1.15th FC	01/22-04-2022	17028	16851	177
2. 15th FC	09/24-04-2022	7920	7809	111
3. 15th FC	12/24-04-2022	19800	19728	72
4. 15th FC	16/24-04-2022	11880	11508	372
	Total	₹56628	₹55896	₹732

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15 दिनांक 18-01-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उक्त तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अत: उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रिंडा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-17 दिनाक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट,SDP एवं MMGPY का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनांक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-17 दिंनाक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत रिंडा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-17 दिनाक 19-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विन्योजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

3 0 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30/3/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

1696 - 1700

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 141/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

3 0 MAR 2024 30.03.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position of GP RINDA for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (SDP, 3RD/5TH State FC/MMGPY)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	616587	1095752	1712339	212836	1499503
2022-23	1499503	2112170	3611673	1677544	1934129

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1283939	7501254	8785193	5853265.5	2931927.5
2022-23	2931927.5	6016050	8947977.5	7206008.5	1741969

Closing Balance as per Cash Books	1+2 (1934129+1741969)	3676098
Closing Balance as per Bank Pass book as on 31-03-2023		3531567
Difference		144531

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खंड चम्बा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत ग्यारह रोकड़बहियाँ का संधारण किया जा रहा है ।

Checked

परिशिष्ट "1" कं संख्या 4 में संदर्भित

Income Statement of GP Rinda Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2021-22

Month	OWN SOU	SDP	3rd State	MPLAD	VKVNY	MMAGY	Relief	SBM	13th/14th	15 FC	PMAGY	AAY/IAY	MGNREGA	TOTAL
April	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	200532	0	6	45000	**247598**
May	380	0	0	0	0	0	100000	0	0	114733	0	0	123000	**338113**
June	595	0	0	0	0	84	0	50001	0	196753	0	0	322000	**569433**
July	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	1240000	**1790675**
August	7105	0	65400	0	0		0	0	0	0		0	529000	**601505**
Septembe	13048	0	43600	14	354	85	0	186	0	179118	7674	811	316000	**560890**
October	970	0	0	0	0	0	25289	0	0	0	0	0	195000	**221259**
November	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477000	**478520**
December	1240	0	0	0	75000	82		0	0	379581	0	0	228000	**683903**
January	480	0	0	0	0	0	0	0	0	8446	0	0	233000	**241926**
February	**215134**	0	138379	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	200000	**1353513**
March	5166	0	600000	0	74652	78	0	15	506760	0		0	323000	**1509671**
Total	**248373**	**0**	**847379**	**14**	**150006**	**329**	**125289**	**50202**	**506760**	**1079163**	**1357674**	**817**	**4231000**	**8597006**

Expenditure Statement of GP Rinda Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2021-22

Month	OWN SOU	SDP	3rd State	MPLAD	VKVNY	MMAGY	Relief	SBM	13th/ 14th FC	15 FC	PMAGY	AAY/IAY	MGNREGA	TOTAL
April	1911	0	0	0	0	0	0	0	15557	0	5846	0	45000	**68314**
May	0	0	0	0	0	0	95600	0	40022	0	0	0	123000	**258622**
June	372	0	0	0	0	0	0	147.5	8203	0	0	0	322000	**330722.5**
July	**1300**	**0**	25400	**0**	**0**	**0**	**0**	**33366**	**33195**	**0**	**32472**	**0**	**1240000**	**1365733**
August	0	0		0	0	0	0	15600	5940	0	0	0	529000	**550540**
Septembe	2329	0	85900	0	0	0	0	0	22355	0		0	316000	**426584**
October	0	0	25400	0	0	0	30575	0		0	70734	0	195000	**321709**
November	1970	0	25400	0	20000	0	0	0	2655	0	47200	0	477000	**574225**
December	1239			0	0	0	0	0	7011	0	65400	0	228000	**301650**
January	1009	0		0	49592	0	0	0	38390	31680	133831	0	233000	**487502**
February	0	0	38100	0	0	0	0	0	275529	3960	275844	0	200000	**793433**
March	2506			0	0	0	0	0	61588	42000	157973	0	323000	**587067**
Total	**12636**	**0**	200200	**0**	**69592**	**0**	**126175**	**49113.5**	**510445**	**77640**	**789300**	**0**	**4231000**	**6066101.5**

Income Statement of GP Rinda Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2022-23

Month	OWN SOURCE	SDP	3rd State	MMGPY	MPLAD	VKVNY	MMAGY	Relief	SBM	PMAGY	13th/14th FC	15 FC	AAY/IAY	MGNREGA	TOTAL
April	12216	0	0	0	0	665		186	0	11626	4676	0	812	227000	**257181**
May	1200	0	66300	0	0	0	0	0	0	0	0	10612	0	1249000	**1327112**
June	570	0	0	0	14	0	79	0	22564	0	0	123080	0	103000	**249307**
July	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	**66410**
August	880	0	79600	0	0	0	0	0	0	0	0	184048	0	491000	**755528**
September	20	25000	175000	150000	0	120	79	167	7	9951	50000	0	835	848000	**1259179**
October	**61865**	0	1000000	0	0	0	0	0	0		0	241559	0	156000	**1459424**
November	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	**87760**
December	3940	0	52400	0	0	0	78	0	0	0	0	181797	0	153000	**391215**
January	23400	124892	24892	150000	0	0	0	0	27860		0	106340	0	354000	**811384**
February	9520	0	0	0	0	25000	0	0	15472	468240	0	0	0	39000	**557232**
March	1390	0	145915	0	15	0	78	0	0	0	94	302996	0	456000	**906488**
Total	**118171**	**149892**	**1544107**	**300000**	**29**	**25785**	**314**	**353**	**65903**	**489817**	**54770**	**1150432**	**1647**	**4227000**	**8128220**

Expenditure Statement of GP Rinda Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2022-23

Month	OWN SOURCE	SDP	3rd State	MMGPY	MPLAD	VKVNY	MMAGY	Relief	SBM	PMAGY	13th/14th FC	15 FC	AAY/IAY	MGNREGA	TOTAL
April	0	0	25400	0	0	100060	0	0	0	37886	4676	319071	0	227000	**714093**
May	**9253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105291**	**52580**	**174440**	**0**	**1249000**	**1590564**
June	0	0	29000	0	0	0	0	0	22557	53520	47410	0	0	103000	**255487**
July	7950	0	65200	0	0	0	0	0	0	107274	0	269407	0	66000	**515831**
August	6875	0	14500	0	0	0	0	0	1095.5	80486	70440	110611	0	491000	**775007.5**
September	1180	0	113738	49619	0	0	0	0	0	115461	0	37008	0	848000	**1165006**
October	923	0	113738	0	0	0	0	0	0	0	0	143970	0	156000	**414631**
November	4169	24732	78704	19950	0	0	0	0	0	65146	0	0	0	85000	**277701**
December	5355	25160	225928	0	0	0	0	0	0	0	0	201983	0	153000	**611426**
January	908	0	266976	0	0	0	0	0	27860	0	0	0	0	354000	**649744**
February	900	0	388749	155691	0	0	0	0	15472	517338	0	93259	0	39000	**1210409**
March	2786	9340	30820	0	0	25000	0	0	7	0	50079	89036	40585	456000	**703653**
Total	**40299**	**59232**	**1352753**	**225260**	**0**	**125060**	**0**	**0**	**66991.5**	**1082402**	**225185**	**1438785**	**40585**	**4227000**	**8883552.5**

Checked

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Rinda for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0	4231000	4231000	4231000	0
		2022-23	0	4227000	4227000	4227000	0
2	15TH FC	2021-22	384568	1079163	1463731	77640	1386091
		2022-23	1386091	1150432	2536523	1438785	1097738
3	13TH/14TH FC	2021-22	502906	506760	1009666	510445	499221
		2022-23	499221	54770	553991	225185	328806
4	PMAGY	2021-22	295149	1357674	1652823	789300	863523
		2022-23	863523	489817	1353340	1082402	270938
5	AAY/IAY/RAY	2021-22	53884	817	54701	0	54701
		2022-23	54701	1647	56348	40585	15763
6	Relief	2021-22	11782	125289	137071	126175	10896
		2022-23	10896	353	11249	0	11249
7	VKVNY	2021-22	23532	150006	173538	69592	103946
		2022-23	103946	25785	129731	125060	4671
8	MPLAD	2021-22	948	14	962	0	962
		2022-23	962	29	991	0	991
9	MMAGY	2021-22	11170	329	11499	0	11499
		2022-23	11499	314	11813	0	11813
10	SBM	2021-22	0	50202	50202	49113.5	1088.5
		2022-23	1088.5	65903	66991.5	66991.5	0

परिशिष्ट – "3"

ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	29/ 20-11-22	Antivirus, Cartage etc.	-	M/S Computer Solution, Chamba	2883	Quotations
2.SBM	01/ 16-07-21	Bricks	1500@9.5	M/S Surinder Cement Store, Sultanpur Chamba	14250	Quotations
3.PMGAY	36 TO 38/ 16-03-22	Angle Jala	1293.20kg @98	M/S Pawan Welding Store, Baloo, Chamba	126734	Tender
4.14th FC	07/ 25-07-21	Tiles	-	M/S Jagat Ram Shakti Prasad VPO Sarol Chamba	23000	CS & SO
5.14TH FC	08/ 25-07-21	Ceiling sheet 8'x3'	18No. @480	M/S Sanjhi Ram & Sons Parel Chamba	10195	CS & SO
6.14TH FC	22/ 16-03-22	Stationery	-	M/S Ipshita General Store Sultanpur, Chamba	1890	Quotations
7.MGREGA	83/ 06-07-21	Fitting Material	-	M/S Jagat Ram Shakti Prasad, VPO Sarol Chamba	9290	Quotations
				Total	188242	

सचिव
ग्राम पंचायत रिण्डा
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2b 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP RINDA FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED

01-04-2022 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	EXCESS PAID GST
1	M/S Chhotu Ram	VKVNY	2,3 & 7	Sand	4.24	6.784	7200	60	407.04	6857.14286	342.8571
	PO Saru, Chamba		1/11/2022	Aggre.	11.32	17.2064	21200	60	1032.384	20190.4762	1009.524
2	M/S Sunil & Sons	SBM	02 & 03	Sand	3.05	4.88	5184	60	292.8	4937.14286	246.8571
	PO Saru, Chamba		7/16/2021	Stone	4.44	9.9456	7992	60	596.736	7611.42857	380.5714
3	M/S Sunil & Sons	PMGAY	08 to 11	Sand	7.08	11.328	12000	60	679.68	11428.5714	571.4286
	PO Saru, Chamba		11/12/2021	Aggre.	12.46	18.9392	23320	60	1136.352	22209.5238	1110.476
4	M/S Sunil & Sons	PMGAY	25 to 28	Sand	8.49	13.584	14400	60	815.04	13714.2857	685.7143
	PO Saru, Chamba		2/11/2022	Aggre.	3.9	5.928	7314	60	355.68	6965.71429	348.2857
				Stone	17	38.08	30600	60	2284.8	29142.8571	1457.143
5	M/S Sunil & Sons	PMGAY	26 to 29	Sand	8.49	13.584	14400	80	1086.72	13714.2857	685.7143
	PO Saru, Chamba		7/26/2022	Aggre.	19.82	31.712	37100	80	2536.96	35333.3333	1766.667
6	M/S Chhotu Ram	PMGAY	31 to 33	Sand	3.2	5.12	5424	80	409.6	5165.71429	258.2857
	PO Saru, Chamba		7/26/2022	Aggre.	6.37	9.6824	11925	80	774.592	11357.1429	567.8571
				Stone	17.33	38.8192	26000	80	3105.536	24761.9048	1238.095
7	M/S Sunil & Sons	PMGAY	37 to 40	Sand	5.38	8.608	9120	80	688.64	8685.71429	434.2857
	PO Saru, Chamba		9/9/2022	Aggre.	12.74	19.3648	23850	80	1549.184	22714.2857	1135.714
				Stone	24.83	55.6192	39850	80	4449.536	37952.381	1897.619
8	M/S Chhotu Ram	15th FC	4 & 6	Sand	5.38	8.608	9120	80	688.64	8685.71429	434.2857
	PO Saru, Chamba		4/24/2022	Aggre.	10.47	15.9144	19610	80	1273.152	18676.1905	933.8095
9	M/S Chhotu Ram	15th FC	22 & 23	Stone	15.23	34.1152	31990	80	2729.216	30466.6667	1523.333
	PO Saru, Chamba		4/27/2022	Sand	10.47	16.752	17760	80	1340.16	16914.2857	845.7143
10	M/S Sunil & Sons	15th FC	62 & 63	Sand	2.26	3.616	3840	80	289.28	3657.14286	182.8571
	PO Saru, Chamba		9/25/2022	Aggre.	4.24	6.4448	7950	80	515.584	7571.42857	378.5714
11	M/S Sunil & Sons	15th FC	80 to 82	Sand	5.66	9.056	9600	80	724.48	9142.85714	457.1429
	PO Saru, Chamba		2/20/2023	Stone	2.08	4.6592	4382	80	372.736	4173.33333	208.6667
				Aggre.	9.62	14.6224	18020	80	1169.792	17161.9048	858.0952
12	M/S Sunil & Sons	15th FC	89 TO 91	Sand	2.54	4.064	4320	60	243.84	4114.28571	205.7143
	PO Saru, Chamba		3/19/2022	Aggre.	4.24	6.4448	7950	60	386.688	7571.42857	378.5714
				Stone	10	22.4	15000	60	1344	14285.7143	714.2857
13	M/S Sunil & Sons	Relief	02 & 03	Aggre.	37.09	56.3768	85150	60	3382.608	81095.2381	4054.762
	PO Saru, Chamba		5/12/2021					60	0	0	0
14	M/S Sunil & Sons	MGREGA	52 -62	Stone	54.45	121.968	106184	60	7318.08	101127.619	5056.381
	PO Saru, Chamba		7/6/2021	Aggre.	3.03	4.6056	6955	60	276.336	6623.80952	331.1905
				Sand	5.23	7.9496	12950	60	476.976	12333.3333	616.6667
15	M/S Sunil & Sons	MGREGA	67 to 72	Sand	8.49	13.584	21000	60	815.04	20000	1000
	PO Saru, Chamba		7/6/2021	Stone	73.04	163.61	142428	60	9816.576	135645.714	6782.286
16	M/S Sunil & Sons	MGREGA	73 to 80	Sand	47.12	105.549	116480	60	6332.928	110933.333	5546.667
	PO Saru, Chamba		7/6/2021	Stone	61.53	137.827	114990	60	8269.632	109514.286	5475.714
17	M/S Sunil & Sons	MGREGA	105 & 106	Stone	16.5	36.96	34664	80	2956.8	33013.3333	1650.667
	PO Saru, Chamba		9/6/2022					80	0	0	0
18	M/S Chhotu Ram	MGREGA	104	Stone	13.33	29.8592	28000	80	2388.736	26666.6667	1333.333
	PO Saru, Chamba		9/6/2022					80	0	0	0
If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022						TOTAL	1115222		75312.56	1062116.2	53105.8

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.52
   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid c

ग्राम पंचायत रिण्डा
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट – "5"

ग्राम पंचायत रिंडा, विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश_संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने बारे (पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.MMG DY	16/ 24-09-22	JCB Work	29hr.@1450 GST@18%	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	49619	Joint. Sign
2.5th FC	17 & 18/ 24-09-22	JCB Work	58Hr.@1450 GST@18%	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	99238	Joint. Sign
3.5th FC	21 & 22/ 18-10-22	JCB Work	58Hr.@1450 GST@18%	M/S Nadeem Ali Shah Baloo,Chamba	99238	Joint. Sign
4.SBM	01/ 16-07-21	Bricks	1500@9.5	M/S Surinder Cement Store, Sultanpur Chamba	14250	Joint. Sign
5.14th FC	07/ 25-07-21	Tiles	-	M/S Jagat Ram Shakti Prasad VPO Sarol Chamba	23000	Joint. Sign.
6.14TH FC	08/ 25-07-21	Ceiling sheet 8'x3'	18No. @480	M/S Sanjhi Ram & Sons Parel Chamba	10195	Joint. Sign.
7.MGREGA	83/ 06-07-21	Fitting Material	-	M/S Jagat Ram Shakti Prasad, VPO Sarol Chamba	9290	Joint. Sign.
				Total	**304830**	

सचिव
ग्राम पंचायत रिण्डा
विकास खण्ड चम्बा (हि०प्र०)